महत्वपूर्ण एवं खास

सफाई में बाधक नाली के ऊपर कब्ज़ा को हटाएं: एसडीएम जैन

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आईएएस वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ ने नगरपालिका परिषद के अधीन सारंगढ़ शहर के सफाई व्यवस्था का सुबह जायजा लिया। उन्होंने वार्ड 08, 13 और 15 के सड़कों और नालियों का अवलोकन किया। साथ ही सभी स्थानों पर सफाईकर्मियों से नालियों को साफ कराया। एसडीएम जैन ने कई नाली में कचरा फंस जाने और उस पर कब्जा होने से सफाई नहीं होने के कारण को देखते हुए सीएमओ को नालियों के ऊपर किए गए कब्ज़ा को हटाने के निर्देश दिए।इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश पांडेय, सफाई दारोगा मोहन मरावी, पीआईयू आकाश पांडेय, आलोक मिश्रा उपस्थित थे।

सारंगढ़ और सरसींवा क्षेत्र में 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद

सारंगढ़ बिलाईगढ़। गर्मी के दिनों में विद्युत के उपयोगिता बढ़ जाने से विद्युत आपूर्ति के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है। विद्युत विभाग ने इस संबंध में सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि बुधवार 3 अप्रैल 2024 को 132 /33 केव्ही कोतरी उपकेंद्र में नए पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की वजह से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ ब्लॉक तथा बिलाईगढ ब्लॉक के सरसीवा क्षेत्र की संपूर्ण ग्रामीण सप्लाई सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। सारंगढ़ शहर की सप्लाई आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, परंतु फिर भी कुछ समय के लिए सप्लाई आपूर्ति बाधित हो सकती है। समस्त उपभोक्ताओं से निवेदन है कि पानी की व्यवस्था पूर्व से ही कर लें। उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए के लिए खेद है। इस आशय की जानकारी विद्युत कार्यपालन अभियंता नरेन्द्र नायक ने दी।

कलेक्टर ने आबकारी प्रकरणों में वाहन और सामग्री को किया राजसात

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र से जुड़े दो वर्ष पुराने आबकारी प्रकरणों का निराकरण किया है। इसमें आबकारी के एक प्रकरण पर वाहन को और दूसरे प्रकरण में शराब को राजसात किया है। पुलिस थाना सरिया द्वारा 26 मार्च 2022 को ग्राम बरपाली में मोटर सायकल बजाज सीटी 100 पंजीयन क्रमांक सीजी 13 एई 6700 से एक बोरी के अंदर प्लास्टिक झिल्ली में रखा 40 लीटर कच्ची महुआ शराब आरोपी बशिष्टो थुरियाआत्मज रंजीत थुरिया निवासी शांति नगर कनकबीरा तहसील सारंगढ़ को अवैध परिवहन करते हुए गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। वाहन के दस्तावेज के अनुसार उक्त मोटर सायकल बशिष्टो थुरिया के नाम पर पंजीकृत है। इस प्रकरण प्रतिवेदन में उल्लेखित छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 59 (क) के तहत पुलिस थाना सरिया में अपराध क्रमांक 67/2022 कायम किया है, जिसे धारा 47 के तहत वाहन राजसात किया गया है। इसी प्रकार 21 मई 2022 को आरोपी अतुल पिता महेत्तर ओग्रे उम्र 34 साल साकिन नगरदा थाना बिलाईगढ़ द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिये रखे पाये जाने से उसके कब्जे से हाथ भटठी महुआ शराब कुल 10 बल्क लीटर कीमत 1000 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया, जिसे छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत आबकारी एक्ट के तहत थाना बिलाईगढ़ में अपराध कमांक 134/2022 कायम किया गया और धारा 47 (ए) के तहत उसे राजसात किया गया।

लोकसभा निर्वाचन-2024... रायगढ़ में फ्लाईंग स्क्वाड टीम की बड़ी कार्यवाही, गाड़ी से 50 लाख रुपए नगद जब्त

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु प्रभावशील आदर्श आचार संहिता में रायगढ़ की फ्लाईंग स्क्वाड टीम के द्वारा आज बड़ी कार्यवाही करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान मेडिकल कालेज रोड से एक इनोवा क्रिस्टा से 50 लाख रुपये नगद अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया। वाहन में सवार लोगों से उक्त राशि के बारे में जानकारी मांगे जाने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। मामला इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार आज लोकसभा निर्वाचन के उडनदस्ता टीम दल क्रमांक 05 द्वारा चेकिंग के दौरान मेडिकल कालेज रोड रायगढ़ के आगे एकताल रोड में बंजारी मंदिर के पास ईनोवा क्रिस्टा वाहन क्रमांक जे एच 05 डी.सी./5705 को चेक करने पर वाहन में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिन्हे पूछताछ कर चेक करने पर एक कपड़ा के थैला में 500-500 रूपये के नोट के 100 बंडल कुल 50 लाख रुपये अवैध रूप से ले जाते मिला। जिसे उक्त रकम के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नही दे पाये। उडनदस्ता दल क्रमांक 05 के प्रभारी अधिकारी सहकारी निरीक्षक अविनाश कश्यप, सह प्रभारी अरूण कुमार साव, सहायक ग्रेड 02, पुलिस अधिकारी स.उ.नि. गौतम ठाकुर द्वारा यह कार्यवाही की गई है। आगे की कार्यवाही हेतु प्रकरण इंकम टैक्स विभाग को सौंपा गया है।

लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी इंफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को लगातार जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं। एसपी दिव्यांग पटेल ने पुलिस की टीमों को सघन जांच के लिए निर्देशित किया है। पुलिस के साथ दूसरी जांच एजेंसियों की टीम्स भी फील्ड पर सक्रिय हैं। नगदी एवं अन्य सामग्री के अवैध परिवहन पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर, एसपी निकले फील्ड पर, रेंगालपाली चेक पोस्ट के औचक निरीक्षण में पहुंचे, वाहनों की जांच का किया मुआयना

चेक पोस्ट पर तैनात टीम से कहा अलर्ट रहकर करें जांच

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल आज फील्ड पर निकले। वे रेंगालपाली चेक पोस्ट के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्होंने गुजरने वाले वाहनों की हो रही जांच का मुआयना किया। उन्होंने चेक पोस्ट में तैनात टीम से गाडिय़ों की जांच के संबंध में जानकारी ली और जांच रजिस्टर का अवलोकन किया। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव व अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय इस दौरान साथ रहे। कलेक्टर गोयल व पुलिस अधीक्षक पटेल ने इस दौरान गुजर रहे गाडिय़ों को रुकवा कर जांच भी करवाई। कलेक्टर गोयल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से अवैध धनराशि व अन्य वस्तुओं का परिवहन के रोकथाम के लिए ऐसे सभी वाहनों की सघन जांच होनी चाहिए। जिस गाड़ी को जांच कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दर्ज की जाए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने टीम को पूरी तरह से अलर्ट रहकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम जबलपुर में मोटर सायकल पर शराब परिवहन कर रहे युवक को पकड़ा

❐ आरोपी से 34 लीटर महुआ शराब और मोटर सायकल जब्त

रायगढ़

आसन्न लोकसभा को लेकर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत मादक पदार्थों एवं चुनावी प्रलोभन सामाग्रियों के परिवहन पर पुलिस मुखबीर लगाकर निगाह रखे हुये है। इसी क्रम में कल दिनांक 01/04/2024 के रात्रि थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में भूपदेवपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम जबलपुर पुल के पास नाकेबंदी कर बिना नंबर मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्पलेण्डर पर शराब परिवहन कर रहे आरोपी उत्तरा कुमार डनसेना पिता स्वर्गीय पतिराम डनसेना उम्र 34 साल निवासी ग्राम जबलपुर थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ़ के कब्जे से कुल 34 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती रु.3,400 और बिना नंबर मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर कीमती रु.60,000 का जप्त किया गया है। आरोपी द्वारा अवैध बिक्री के लिये रात्रि छिप कर शराब ले जाना बताया है। आरोपी से अवैध शराब तथा मोटरसाइकिल काले रंग का बिना नंबर हीरो होंडा स्प्लेंडर की विधिवत जप्ती कर आरोपी के विरुद्ध थाना भूपदेवपुर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शंभू पांडे, आरक्षक मुरली मनोहर पटेल, बोधराम सिदार और विजय कुमार पटेल शामिल थे।

लोक सभा निर्वाचन-2024 ... बेहतर ट्रेंनिग से आसान होगा निर्वाचन कार्य, शंका होने पर जरूर करें प्रश्न -उप जिला निर्वाचन अधिकारी

❐ अपर कलेक्टर पाण्डेय ने मतदान दलों के ट्रेंनिग का किया निरीक्षण

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने विकासखण्ड पुसौर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल औरदा में चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने सभी मतदान दलों को पूर्ण मनोयोग से ट्रेनिंग प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे निर्वाचन कार्य आसान होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ ही बेहतर तरीके से कार्य भी करना है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान दलों से कहा कि प्रशिक्षण में निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका या समस्या होने पर शीघ्र पूछ सकते हैं, ताकि निर्वाचन के हर प्रक्रिया की बेहतर जानकारी हो एवं कहीं त्रुटि की गुंजाईश ना रहे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पाण्डेय ने कहा कि पूरे दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ सके। इस दौरान उन्होंने मॉक पोल, मतदान दिवस पर उपस्थिति पश्चात कार्य, बैठक व्यवस्था, वेब कॉस्टिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बनाए गए आदर्श मतदान केन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अधिकरियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने को कहा। उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारियों के लिए ईडीसी की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से सभी निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी अवश्य मतदान करें।

उल्लेखनीय है कि सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण रायगढ़ विकासखंड में 3 से 6 अप्रैल तक तथा अन्य सभी विकासखंड में दिनांक 2 से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें मतदान दलों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के माध्यम से दिया जा रहा हैं। इस अवसर पर एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, तहसीलदार पुसौर नेहा उपाध्याय, नायब तहसीलदार मिश्रा सहित विभागीय एवं मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

गस्त दौरान कोतवाली और कोतरा रोड पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे दो आरोपियों को पकड़ा, आरोपियों से 11 किलो गांजा जब्त

❐ थाना कोतवाली और कोतरारोड़ में आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, मादक पदार्थ - अवैध शराब, गांजा पर कार्यवाही निरंतर जारी है। पुलिस की सक्रियता से गस्त दौरान मुखबीर सूचना पर कल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल्वे स्टेशन के पास तथा कोतरारोड़ थानाक्षेत्र अंतर्गत नंदेली तिराहा कोसमनारा के पास पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहे आरोपियों को पकड़ा गया है। दोंनो कार्रवाई में दो आरोपियों से करीब 11 किलो गांजा कीमत 1 लाख 29 हजार रूपये का जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई-

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा अवैध मादक पदार्थ बिक्री करने वालों पर मुखबिर सक्रिय कर रखा गया है जिन्हें कल रात्रि मुखबीर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के बाहर शिव मंदिर के चबूतरे के पास एक व्यक्ति पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा रख कर ग्राहक तलाश कर रहा है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर आरपीएफ के साथ मौके पर संदेही निगम कुमार जायसवाल को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया जिसके पास से कुल 8 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 8 किलो 308 किलोग्राम कीमती 99 हजार रुपए का बरामद हुआ जिसकी विधिवत जप्ती की गई है। आरोपित निगम कुमार जायसवाल पिता रामलाल जायसवाल उम्र 22 साल निवासी नवाटोला पोस्ट व थाना बिहारपुर, जिला सुरजपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा उड़ीसा से गांजा बिक्री करने लाना बताया है। आरोपी पर थाना कोतवाली में धारा 20(B) NDPS Act के तहत कार्यवाही किया गया है। रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, सहायक उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू आरक्षक अजय साय, जगन्नाथ साहू, धनीराम सिदार आरपीएफ के एएसआई अरमेंद्र सिंह और प्रधान आरक्षक समलेश यादव शामिल थे।

कोतरारोड़ पुलिस की कार्रवाई-

थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति नंदिनी तिराहा कोसमनारा के पास थैली में मादक पदार्थ गंज रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश के इंतजार में खड़ा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम संदेही की घेराबंदी का रेड किया गया जो संदेही पुलिस को देख कर भागने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ा कर पकड़ा गया। आरोपित राहुल पटेल पिता रामनिवास पटेल उम्र 27 साल निवासी कुशमहट थाना ताला जिला मैहर (M.P.) के कब्जे से 3 अलग-अलग पैकेट में करीब 3 किलो गांजा कीमत रु.30,000 का बरामद किया गया है। गांजा रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा, उप निरीक्षक जे0 एक्का, आरक्षक टिकेश्वर यादव, संजीव पटेल, संजय एक्का शामिल थे।

ट्रैफिक डीएसपी ने देखी अडानी प्लांट में वाहन चालकों की जांच व्यवस्था

❐ ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों को लेकर यातायात पुलिस की जांच कार्यवाई जारी

रायगढ़। ड्रिंक एंड ड्राइव के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा बीते माह जिले में स्थापित प्लांटों के प्रबंधकों एवं उनके प्रतिनिधियों की मीटिंग आहूत कर प्लांट से डिस्पैच होने वाले प्रत्येक वाहन चालकों के गेट पर ही शराब सेवन का ब्रीथ एनालाइजर से जांच व्यवस्था कराने एवं शराब सेवन किये हुये वाहन चालाकों को डिस्पैच नहीं दिये जाने का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के पालन किये जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर आज उप पुलिस अधीक्षक यातायात रमेश कुमार चंद्रा, थाना यातायात के स्टाफ के साथ अडानी पावर लिमिटेड कंपनी जाकर औचक चेक कर जायजा लिया गया।

ट्रैफिक डीएसपी ने कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति में जांच व्यवस्था देखी और मौके पर प्लांटकर्मियों और वाहन चालकों यातायात सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिये तथा शराब सेवन किये हुये वाहन चालाकों को डिस्पैच नहीं दिये जाने का निर्देश दिया गया।

यातायात डीएसपी बताए कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने जिला पुलिस प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्लांटों में जांच के साथ प्रतिदिन यातायात पुलिस और विभिन्न थानों की टीम द्वारा वाहन चालकों एवं वाहनों की जांच की जा रही है और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक किया जा रहा है।

बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले युवक को पुलिस ने पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल

❐ पुसौर पुलिस ने गुम बालिका को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से किया बरामद

रायगढ़

थाना पुसौर में 7 फरवरी 2024 को नाबालिक बालिका के पिता द्वारा उसकी लड़की के 6 फरवरी को स्कूल जाने और स्कूल से वापस नहीं आने की जानकारी देकर बालिका के गुम हो जाने संबंधी लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना पुसौर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 48/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर गुम बालिका की जांच की गई। बालिका के परिजन, सहेलियां एवं जान परिचित से कथन लिया गया जिसमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर बालिका का सोशल अकाउंट जांच किया गया जिसमें बालिका के संपर्क में रहे मित्रों की सूची तैयार कर जांच आगे बढाया गया जिसमें युवक नवीन कुमार राय निवासी पश्चिम बंगाल की भूमिका संदिग्ध होने पर थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा साइबर सेल से संदेही का डिटेल निकलवाया गया। संदेही नवीन कुमार राय का लोकेशन प्राप्त कर शीघ्र पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन पर साइबर सेल और पुसौर पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर उपनिरीक्षक के.एल. गौर के नेतृत्व में टीम पश्चिम बंगाल रवाना किया गया। पुलिस टीम पुलिस चौकी मोहनपुर जिला नादिया (पश्चिम बंगाल) क्षेत्र से संदेही नवीन कुमार राय के कब्जे से गुम बालिका को बरामद किया गया। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें उसने इंस्टाग्राम फ्रेंड नवीन कुमार राय से मित्रता होना और उसके बहकावे पर उसके साथ रायगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से उसके गांव जिला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) ले जाना बताई। बालिका के कथन और मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376(2)(N) भादवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 विस्तारित कर आरोपी नवीन कुमार राय पिता नवल किशोर राय फरुखा बैरेज ब्लॉक नंबर 10 थाना फरुखा बैरेज जिला मुर्शिदाबाद वर्तमान पता आयुषपुर पश्चिम (बिरोई) जिला चौकी मोहनपुर थाना हिरनघटा जिला नादिया (पश्चिम बंगाल) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बालिका की पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे, उप निरीक्षक के.एल. गौर हमराह स्टाफ आरक्षक महेश चौहान, विक्रम सिंह (साइबर सेल) और महिला आरक्षक सुमन बरेठा की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तारी से बचने ठिकाना बदल रहे आरोपी को पुलिस ने चंद्रपुर से किया गिरफ्तार

❐ आरोपी गया जेल

रायगढ़। पिछले साल 26 जुलाई को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिरवानी में महिला साधनी बाई चौहान पति स्व रामलाल चौहान उम्र 65 वर्ष का शव उसके घर पर पड़ा मिला था। घटना के संबंध में मृतिका के दामाद देव सिह राठिया (उम्र 55 वर्ष) बताया कि उसकी सास साधनी बाई चौहान अकेली रहती थी। दिनांक 26.07.2023 के सुबह इसकी बेटी रेखा चौहान (मृतिका की नातिन) उसके नानी के घर गई तो देखी साधनी बाई जमीन में मृत हालत में पड़ी थी, बाहर से दरवाजा में सीटकीनी लगा था। घर के अंदर कपड़े अस्त-व्यस्त थे। मृतिका साधनी बाई के गले में पहने सोने की माला नहीं थी, एवम् आलमारी में रखे सोने चाँदी के ज़ेवर नहीं थे परिजनों ने चोरी को लेकर अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त किया गया था। मामले में चक्रधरनगर पुलिस अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

अपराध विवेचना दरम्यान मृतिका के परिजनों, उसके घर आने जाने वाले लोगों से सघन पूछताछ कर जांच आगे बढाया गया जिसमें ग्राम छिरवानी के पास स्थित एसपीएस पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले अजय कुमार बेहरा का मृतिका के घर आने-जाने की जानकारी मिली थी। घटना के बाद से संदेही अजय बेहरा फरार था पुलिस को जांच में संदेही के खिलाफ कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा आरोपी की पतासाजी के लिए लगतार संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई, आरोपी निरंतर गिरफ्तारी से बचने अपना लोकेशन बदल रहा था जिसके कल चंद्रपुर में परिचित के शरण लेने आने की सूचना मिलते ही टीआई प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम चंद्रपुर रवाना हुई और आरोपी अजय बेहरा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया।

आरोपी अजय कुमार बेहरा पिता रतन प्रसाद बेहरा उम्र 34 साल निवासी बांसाझार थाना छाल जिला रायगढ़ ने महिला साधनी बाई के पहने जेवर की लूटपाट के उद्देश्य से गला दबाकर, मुंह में रस्सी बांध कर हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी ने महिला से लुटे और आलमारी से चुराए कुछ जेवरों को अपने खर्च के लिए बेच देना बताया। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर मृतिका के घर से चुराए चांदी का हाफ़ कड़धन, बेनीफुल, बिछिया, अंगूठी बरामद कर जप्त किया गया है तथा संबंधित अपराध क्रमांक 365/2023 धारा 302 आईपीसी में धारा 458, 397, 201 आईपीसी विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आरोपी की पतासाजी/गिरफ्तारी की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक कोमल तिवारी और मिनकेतन पटेल की सारहनीय भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480